

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या  
207/2019

रजू दिनांक  
16.07.2019

पर्चा डिक्री दिनांक  
28.07.2023

// उनवान //

- 1 राजेन्द्र पुत्र मनफुल जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर, अलवर।
- 2 महेश पुत्र कैलाश जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।

:- वादीगण

**बनाम**

- 1 रोहताश पुत्र टिंडा जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 2 गजराज पुत्र टिंडा जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 3 माया पत्नि बोदन जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 4 राज0 सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, अलवर।
- 5 श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।

:- प्रतिवादीगण

- 6 गोपाल पुत्र मनफुल जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 7 रामनिवास पुत्र कैलाश जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 8 सन्तरा पत्नि कैलाश जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।
- 9 सुशील पुत्री कैलाश जाति अहीर निवासी जालावास तह0 मुण्डावर, अलवर।

:- तर0 प्रतिवादीगण

दावा- ईशतकरारहक मय दूरुस्ती इन्द्राज  
वो हु0 ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188  
राज0 काश्त0 अधिनियम।

:- पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.07.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने

की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 870/0.03, 871/0.03, 872/0.04, 873/0.04, 499/0.08, 500/0.06, 501/0.08, 502/0.06, 583/0.04, 584/0.04, 585/0.05, 586/0.04 हैं0 का 1/4


भाग वाके ग्राम जालावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण तथा तर0 प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 3 एवं उनके पूर्वज टीडा, हरचन्द, सुलतान, बोदन के नाम के हो रहे गलत अंकन को हजफ करने के आदेश दिए जाते हैं एवं उनके स्थान पर वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के नाम से अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा प्रतिवादीगण असल को डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादी व तर0 प्रतिवादीगण को आराजी से बेदखल ना करे पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज बडगूजर)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर अलवर, राज0